न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
292/2017	प्रा.पत्र 251-A RTA	17.05.2017	19.08.2019

पारूल सिगतिया पत्नी मुकुल सिगतिया निवासी श्याम सिनेमा के पास, वार्ड नं. 22, चूरू तहसील वा जिला चूरू

—प्रार्थिनी—

बनाम

1. चेतनराम पुत्र रतूराम जाति जाट पूनिया निवासी सोमासी तहसील व जिला चूरू
2. हाजन खैरूनिशा धर्मपत्नी उस्मानगनी जाति व्यापारी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
3. पुष्पादेवी पत्नी सुशीलकुमार सिगतिया जाति अग्रवाल निवासी श्याम सिनेमा के पास, वार्ड नं. 22, चूरू तहसील वा जिला चूरू
4. सुनिता पत्नी सुरेन्द्र खेमका जाति अग्रवाल निवासी नई सड़क, वार्ड नं. 12, चूरू
5. ललिता पत्नी राजकुमार खेमका जाति अग्रवाल निवासी नई सड़क, वार्ड नं. 12, चूरू
6. शिवरतन शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री नगर, वार्ड नं. 45, चूरू तहसील वा जिला चूरू
7. मदनलाल पुत्र केशरदेव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील वा जिला चूरू
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा घण्टेल जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत प्रार्थिनी
2. अधिवक्ता श्री रमेश राहड़ अप्रार्थी सं. 1
3. अधिवक्ता श्री अभिषेक टावरी अप्रार्थी सं. 2
4. अधिवक्ता श्री कृपालसिंह अप्रार्थी सं. 4 से 7
5. अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अप्रार्थी सं. 8

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 के संयुक्त खातेदारी वा काश्तकारी की कृषि भूमि ख.नं. 110 तादादी 73 बीघा 2 विश्वा रोही चारणवासी तहसील वा जिला चूरू में स्थित चली आ रही है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ प्रस्तुत है। यह कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी पारूल सिगतिया पत्नी मुकुल सिगतिया वा अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 के 3/5 हिस्सा जाति अग्रवाल निवासी चूरू एवं अप्रार्थीगण संख्या 6 वा 7 क्रमशः शिवरतन शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री नगर वा मदनलाल पुत्र केशरदेवी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला के 2/5 हिस्सा भूमि खातेदारी में अंकित चली आ रही है।

यह कि कृषि भूमि ख.नं. 109 तादादी 7 बीघा 5 विश्वा रोही चारणवासी तहसील चूरू अप्रार्थीगण सं. 1 वा 2 के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है। अप्रार्थीगण सं. 1 वा 2 का खेत ख.नं. 109 रोही चारणवासी चूरू से भालेरी जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के खेत के चिपते ही पूर्वी तरफ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के संयुक्त खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि स्थित है। चूरू से भालेरी जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग से फंटकर इसी कृषि भूमि ख.नं. 109 तादादी 7 बीघा 5 विश्वा से होकर करीब 20 फुट चौड़ा रास्ता से होकर प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 110 रोही चारणवासी में सदामत से आवागमन करते चले आ रहे हैं। विवादित कृषि भूमियों की जमाबन्दी वा नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। यह कि प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 5 ने कृषि भूमि ख.नं. 110 रोही

उपखण्ड अधिकारी

चारणवासी तहसील चूरू इस खेत के पूर्व खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.01.16 को अपना 3/5 हिस्सा एवं खातेदार अप्रार्थीगण सं. 6 से 7 ने इसी कृषि भूमि में अपना 2/5 हिस्सा भूमि इस खेत के पूर्व से खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.01.16 को क्रय किया था। इस भूमि को क्रय करने के पूर्व से ही सदामत से ख.नं. 110 में रोही चारणवासी में अने जाने आवागमन का रास्ता कई वर्षों से ही ख.नं. 109 रोही चारणवासी से होकर रहा है। ख.नं. 109 रोही चारणवासी चूरू से भालेरी जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसमें से फंटकर एक 20 फुट का रास्ता मुताबिक अनेक्जर ए प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के खेत में जाता है जो नजरी नक्शा के मुताबिक है। उक्त रास्ता से प्रार्थिनी से पूर्व खातेदारान पैदल, उंटगाड़ा, ट्रैक्टर ट्रोली, जीप, पिकअप एवं अन्य साधनों से आवागमन करते चले आ रहे हैं जो काश्त के समय इसी रास्ते से ट्रैक्टर ले जाकर अपनी कृषि भूमि की जुताई करवाते थे। इसी रास्ते से पूर्व खातेदारान आवागमन करते आ रहे हैं तथा खेत काश्त करने के पश्चात् अपने पशुधन के जरिये इसी रास्ते से आवागमन करते चले आ रहे थे तथा समय समय पर प्रार्थिनी के पूर्व उक्त रास्ता से ट्रेक्टर ट्रोली, जीप, पिकअप एवं अन्य साधनों से अपने अपने पशुओं के लिए हरा चारा एवं अन्य सामान लाते ले जाते थे तथा खेत में से अनाज निकाल कर इसी रास्ते से लाते थे। उक्त रास्ता से प्रार्थिनी के पूर्व खातेदार आवागमन करने के कारण मौके पर उक्त रास्ता सदामत से कायम चला आ रहा है कभी कोई व्यवधान नहीं रहा है। प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 खरीद के समय से लेकर आज तक उक्त रास्ता से ही आवागमन करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थिनी के खेत ममें जाने का, आवागमन का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है। नजरी नक्शा अनेक्जर ए जो लाल स्याही से अंकित है, प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे।

यह कि प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 110 रोही चारणवसी तहसील चूरू में आने जाने का रास्ता सदामत से इस खेत में चिपते ही स्थित ख.नं. 109 की कृषि भूमि में से रहा है जो वर्तमान में चेतनराम पुत्र रतुराम जाति जाअ निवासी सोमासी के खातेदारी कृषि भूमि है परन्तु उपरोक्त ख.नं. 109 रोही चारणवासी पूर्व में ख.नं. 110 के पूर्व खातेदारान गणेशमल, महेशकुमार, मुरारीलाल पुत्रगण रामलाल उर्फ राजकुमार, रामेश्वरलाल पुत्र खींवाराम, रूक्मणी पत्नी चोखराज जाति ब्राह्मण निवासी चारणवासी के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि रही है जिसे उक्त खातेदारान ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदार चेतनराम पुत्र रतुराम जाति जाट निवासी सोमासी को विक्रय कर दिया वा ख.नं. 110 की भूमि को उपरोक्त खातेदारान ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.01.16को प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया वा इस खेत के आने जाने हेतु आवागमन के रास्ता बाबत खातेदारान ने सभी सहखातेदारान की सहमति से लिखित निष्पादित कर स्वीकार किया है कि ख.नं. 110 रोही चारणवासी तहसील चूरू में आवागमन हेतु ख.नं. 109 में से होकर करीब 150 वर्ष पूर्व से रास्ता रहा है तथा उक्त रास्ता पूर्व खातेदारान वा उनके पूर्वजों द्वारा भी आवागमन हेतु उपयोग में लिया जाता रहा है वा इस रास्ता का उपयोग उपभोग वर्तमान खातेदार प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 कर सकेंगे। इस रास्ता बाबत चेतनराम पुत्र रतुराम जाति जाट वा उसके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति वा एतराज नहीं होगा। इस प्रकार लिखित एक सौ रूपये के स्टाम्प पर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में लिखित वा नोटेरी पब्लिक से दिनांक 29.01.16 को निष्पादित कर तस्दीक करवाया गया है जिसकी प्रति भी प्रार्थना पत्र हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त रास्ता से वर्तमान में प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 आवागमन करते आ रहे हैं। इस रस्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जाकि भविष्य में रास्ता को लेकर पक्षकारान में किसी भी प्रकार से तनाजा विवाद वा झगड़ा फसाद ना हो।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 वा 2 लालची किस्म के व्यक्ति हैं जो उक्त रास्ता बन्द करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के आवागमन में व्यवधान, बाधा पैदा करने लगे हैं तथा उक्त रास्ते से आवागमन को लेकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बिना किसी वजह के ही प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के अपने खेत के आने जाने के उपरोक्त रास्ते में बाधा पैदा करके तंग परेशान करने लगे हैं तथा आने जाने से प्रार्थिनी वा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 को टोकते हैं। उक्त रास्ता की आत्यांन्तिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है

उपखण्ड अधिकारी

बल्कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता लघुतम है जिसे राजस्व रिकार्ड में कायम करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थिनी ने अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया कि साथ में चलकर अनेक्शर ए में अंकित रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रिकार्ड में दुरूस्त करवा देवें और खसरा नंबर 109 की भूमि में से अनेक्शर ए में अंकितानुसार रास्ता कटवा देवें मगर अप्रार्थीगण टालमटोल करते रहे वा आखिर दिनांक 10.05.17 को ऐसा करने से अप्रार्थीगण साफ इन्कार हो गये इस कारण दिनांक 1.05.17 को प्रार्थना पत्र का हैतुक पैदा हुआ है। प्रार्थिनी वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 पंजरब नेशनल बैंक शाखा घंटेल के रहन रख रखा है इसलिए प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि ना रहे इसलिए प्रतिवादी सं. 8 को लकमीलन पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार के लिए तहसीलदार महोदय के पावर वा पजेशन में है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में स्वीकार अनुसार प्रविष्टियां भी तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी हैं इसलिए प्रार्थन पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी सं. 9 बनाया गया है मगर प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि निवास स्थान फैरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौके पर मौद रास्ता जो कृषि भूमि खेत ख.नं. 109 रोही चारणवासी तहसील चूरू में नजरी नक्शा अनेक्शर ए के अनुसार कटानी रास्ता कायम किया जावे तथा तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे कि तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जावे तथा राजस्व नक्शा में रास्ता तरमीम किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 3 से 5 की ओर से श्री कृपालसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबाल जवाब पेश किया व अप्रार्थी सं. 6, 7 की ओर से अण्डरटेकिंग दी। अप्रार्थी सं. 1, 2, 8, 9 की तलबी नहीं होने पर पुनः सम्मन पेश करने के निर्देश दिये गये। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थी सं. 6, 7 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया जो पत्रावली में शामिल किया गया। वकील प्रार्थी ने सम्मन पेश किये जो जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रमेश राहड़ एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री अभिषेक टाकरी एडवोकेट ने वकालतनामे पेश किये तथा तहसीलदार, चूरू से धारा 251 ए के तहत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कर मंगवाई जाने के निर्देश दिये गये।

अप्रार्थी सं. 3 से 5 व 6, 7 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि मद सं. 1 प्रार्थना पत्र में जमाबन्दी के अंकित अनुसार सह खातेदारान के खसरा अंकित किये गये हैं जो सही लिखे गये होने से स्वीकार किये जाते हैं। मद सं. 2 से 7 व 9 प्रार्थना पत्र बाबत हम अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है स्वीकार किये जाते हैं। मद सं. 8 का सम्बन्ध हम अप्रार्थीगण से नहीं है इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 10 प्रार्थना पत्र जो क्षेत्राधिकार बाबत है वादगत भूमि अदालतवलाल के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार में होने से हम अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। अन्तिम मद अनुतोष बाबत हम अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। इस मद में अंकित अनुसार प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में से कटानी रास्ता कायम किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को उजर आपत्ति वा एतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं. 8 की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 व 2 रिकार्डेड होने से जवाब तलब नहीं है। मद सं. 3 में अंकित खसरा की भूमि रिकार्डेड है तथा अन्य तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। दावा की मद सं. 4 4 व 5 में अंकित ख.नं. 109 रोही चारणवासी रिकार्डेड राजस्व रिकार्ड के अनुसार है जिस पर अप्रार्थी जवाबदाता पंजाब नेशनल बैंक

उपखण्ड अधिकारी

शाखा घण्टेल के द्वारा नियमानुसार खातेदार चेतनराम को केसीसी ऋण देकर के पंजाब नेशनल बैंक घण्टेल के रहन रखी हुई है, के अलावा अन्य तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है अस्वीकार हैं। यह कि मद सं. 6 व 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। यह कि अप्रार्थी ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 8 जवाबदाता पंजाब नेशनल बैंक घण्टेल के यहां केसीसी ऋण हेतु बंन्धक रख रखा है जो नियमानुसार है। खुलासा विशेष कथन में किया जावेगा। यह कि मद सं. 9 व 10 कानूनी होने से जवाब तलब नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि कृषि भूमि ख.नं. 109 रोही चारणवासी तह. चूरू का में प्रतिवादी सं. 1 चेतनराम द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 पंजाब नेशनल बैंक घण्टेल के यहां केसीसी ऋण की प्रत्याभूति में बंधक रखा हुआ है व ख.नं. 48, 94 रोही चारणवासी तह. चूरू में भी प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा, ख.नं. 109 के साथ ही प्रतिवादी सं. 8 के यहां बंधक रखा हुआ है जिसे रहन मुक्त कराये बिना एवं प्रतिवादी सं. 8 बैंक की समस्त बकाया राशि चुकता किये बिना कानूनन दावा स्वीकार योग्य नहीं है। यह कि वादी व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा बैंक प्रतिवादी सं. 8 की बकाया ऋण राशि वसूली प्रभावित करने की मंशा से साजिशपूर्वक यह दावा पेश किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी बैंक की हद तक दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ताकि बैंक की पब्लिक मनी सुरक्षित रह सके।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय सूची के संलग्न दस्तावेज एवं छाया चित्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये एवं वकील अप्रार्थी सं. 1 को जवाब हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि मद सं. 1 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रार्थिनी की निजी जानकारी व ज्ञान में न होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं परन्तु लेख है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 110 प्रार्थिनी व चेतनराम के हक अधिकार व काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 109 के पूर्व में अवस्थित है। यह कि मद सं. 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रार्थिनी की निजी जानकारी व ज्ञान में न होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं। मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में खसरा संख्या 109 की भूमि उत्तरदाता/अप्रार्थीनी व अप्रार्थी सं. 1 चेतनराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि होना एवं खसरा संख्या 109 के पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 110 अवस्थित होना एवं चूरू से भालेरी जाने वाले मुख्य मार्ग से फंटकर खसरा संख्या 109 की भूमि में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 110 में जाने हेतु सदामत से चला आना सही होने से स्वीकार है परन्तु लेख है कि खसरा संख्या 109 की कृषि भूमि में उत्तरी तरफ का हिस्सा उत्तरदाता/अप्रार्थिनी का है एवं अपने इस हिस्से की कृषि भूमि पर उत्तरदाता अपने हक के विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2011 से नियमित व निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही है एवं अपने हक हिस्से व कब्जा, काश्त की इस कृषि भूमि पर उत्तरदाता द्वारा पट्टियां रोपकर व तारबन्दी कर कब्जा कर रखा है तथा उत्तरदाता के इस हिस्से में से कोई रास्ता मौजूद नहीं है बल्कि यह रास्ता खसरा संख्या 109 की कृषि भूमि के वक्षिणी सींव के पास से है।

यह कि मद संख्या 4 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में खसरा संख्या 109 की कृषि भूमि में प्रा0पत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्सर–ए में दर्शित अनुसार होना सही है। इस मद में अंकित तथ्य उत्तरदाता/अप्रार्थिनी के निजी ज्ञान व जानकारी में नहीं होने से अस्वीकार हैं। यह कि मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में खसरा संख्या 109 की कृषि भूमि में से रास्ता अप्रार्थी चेतनराम की कृषि भूमि में से मौजूद होने का कथन सही है। इस मद में अंकित अन्य तथ्य उत्तरदाता/अप्रार्थिनी के निजी ज्ञान व जानकारी में नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं। यह कि मद सं. 6 के तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये हैं उत्तरदाता/अप्रार्थीनी की हद तक गलत होने से एवं अप्रार्थी सं. 1 की हद तक जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते हैं। उत्तरदाता/अप्रार्थीनी द्वारा कभी भी इस विवादित रास्ते को किसी भी रूप में अवरूद्ध नहीं किया गया है ना ही ऐसा करने पर अप्रार्थी आमादा है। इस मद में अंकित तथ्य गलत रूप से वादाधार सृजित करने के उद्देश्य से मिथ्या दर्ज करवाये गये हैं, जो अस्वीकार हैं। मद सं. 7 प्रा0पत्र में अंकित तथ्य पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थिनी द्वारा कभी भी उत्तरदाता/अप्रार्थीनी से इस मद में अंकित दिनांक अथवा अन्य किसी दिनांक को वादगत रास्ता बाबत किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं की गई। इस कारण इन्कारी का कथन बेमाने है। प्रार्थिनी को उत्तरदाता/अप्रार्थीनी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई

उपखण्ड अधिकारी

वादाधार अथवा वाद हैतुक प्राप्त नहीं है। यह कि मद सं. 8 से 10 में अंकित तथ्य विधिक हैं जिनके जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र के अन्तिम बिना नम्बरी अनुतोष मद में चाहा गया किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रार्थिनी, उत्तरदाता/अप्रार्थीनी के विरूद्ध प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है एवं उत्तरदाता/अप्रार्थीनी की हद तक प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि उत्तरदाता/अप्रार्थीनी द्वारा वादगत कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2011 के जरिये कृषि भूमि के पूर्व स्वामियों से कीमतन क्रय की गई है एवं पूर्व स्वामियों व काश्तकारों द्वारा मौके पर कब्जा उत्तरदाता/अप्रार्थीनी का करवाया गया है जिस अनुसार पिछले 6–7 वर्षों से उत्तरदाता/अप्रार्थीनी अपने हक, हिस्से व कब्जा, काश्त की खसरा संख्या 109 के उत्तरी तरफ की कृषि भूमि पर बिना किसी आपत्ति व एतराज एवं अवरोध के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। यह कि उत्तरदाता/अप्रार्थीनी के हक व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर उत्तरदाता/अप्रार्थीनी द्वारा पट्टियां रोपकर एवं तारबन्दी कर कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है एवं उत्तरदाता/अप्रार्थीनी के इस हिस्से में किसी प्रकार का कोई रास्ता आवागमन हेतु कभी से भी मौजूद नहीं रहा है ना ही वर्तमान में ही मौजूद है। यह कि उत्तरदाता/अप्रार्थीनी वादगत कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात् से खसरा संख्या 109 के दक्षिणी हिस्से में से रास्ता मौजूद होना देखती चली आ रही है जो पड़ौसी खातेदारान द्वारा मौके मौके पर सदामत से चला आना उत्तरदाता/अप्रार्थीनी को बतलाया गया है। यह कि उत्तरदाता/अप्रार्थीनी द्वारा अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि में बिना अवरोध के कृषि कार्य किया जाता रहा है एवं इस बाबत किसी भी व्यक्ति अथवा खातेदार द्वारा आपत्ति व एतराज नहीं किया गया है। यह कि यदि कानून अनुरूप प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र के संलग्न मौजूद एनेक्सर–ए नजरी नक्शा अनुसार रास्ता प्रदत्त किया जाता है तो उत्तरदाता/अप्रार्थीनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज नहीं है केवल अतना लेख है कि उत्तरदाता/अप्रार्थीनी के कब्जा, काश्त की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार को कोई रास्ता वर्तमान में अथवा सदामत से व पूर्व खातेदारान के समय से मौजूद नहीं रहा है ना ही राजस्व रेकार्ड में ही ऐसा कोई अंकन मौजूद रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र उत्तरदाता/अप्रार्थीनी की हद तक अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि मद सं. 1 में दर्ज कृषि भूमि ख.नं. 110 तादादी 73 बीघा 2 विश्वा रेकार्ड में जरूर है लेकिन इसके संयुक्त खातेदार कौन हैं इसकी जानकारी पूर्व में मुझे नहीं है अब पता करने पर पता चला कि ये सभी भूमाफिया गिरोह है कोई काश्तकार नहीं हैं। इसमें कई भूमाफिया तथा हल्का गिरदावर विनोदकुमार शर्मा भी शामिल है जिनका कार्य जमीन कम दामों में खरीद कर उंचे रकम में बेचना मुख्य उद्देश्य है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 2 में दर्ज तथ्य हकीकत के विपरीत दर्ज होने से अस्वीकार हैं। सम्वत् 2070 व 2071, 2072 में की प्रार्थिया व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 खातेदार नहीं रहे न कभी काश्त की। वर्ष 2016 में ख.नं. 110 की भूमि भूमाफिया गिरोह द्वारा खरीदना सुना है कभी काश्त करते नहीं देखा है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 3 दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का खेत ख.नं. 109 रोही चारणवासी चूरू से भालेरी जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, दर्ज तथ्य स्वीकार है बाकी लिखे तमाम कहानी अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 109 की भूमि में से ख.नं. 110 की भूमि में कभी कोई रास्ता गत 50 वर्षों से नहीं रहा है न आज है। रास्ते की बात तो दूर कभी पगडंडी भी नहीं रही। रोही चारणवासी में ख.नं. 110 की कृषि भूमि के पूर्व खातेदार व ख.नं. 111, 143 के खातेदार के पूर्वज एक परिवार के सदस्य हैं। ख.नं. 110 की भूमि के चिपते ही पूर्वी साईड में ख.नं. 111 की भूमि में गांव सोमासी से गांव रामपुरा रेणु का कटानी रास्ता है गांव सोमासी से ख.नं. 111, 110 में आने का सीधा कटानी रास्ता है पीढियों से इसी रास्ते से आवागमन होता आया है ख.नं. 110 के खातेदार सोमासी से रामपुरा जाने वाले कटानी रास्ते में से ख.नं. 111 की भूमि में प्रवेश करके ख.नं. 111 की उत्तरी सींव में से ख.नं. 110 में प्रवेश करते रहे हैं। ख.नं. 109 की भूमि के अन्दर से ख.नं. 110 के खातेदारों का कभी कोई रास्ता नहीं रहा, न आज है। प्रार्थिया ने प्रा0पत्र मे 20 फीट चौड़ा रास्ता होना गलत अंकित किया है वहां पगडंडी भी नहीं है। नजरी नक्शा में जो

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

काल्पनिक रास्ता प्रार्थिया ने दिखाया है वहां बहुत बड़ा टीला है। एक व्यक्ति भी नहीं आ जा सकता। मात्र काल्पनिक रास्ता अपनी भूमि रोड़ से जोड़ने व कीमत बढाने के उद्देश्य से जबरन रास्ता लेकर कोड़ियों के भाव में जमीन क्रय करके उंचे दामों में बेच कर अत्यधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये सभी भूमाफिया हैं जिनमें कई स्थानीय नेता व उनके परिजन मिले हुए हैं तथा हल्का गिरदावर विनोद शर्मा व उसके परिजन शामिल हैं। इन भूमाफियों की मिलीभगत से पेश किया प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 4 में लिखी तमाम बातें हकीकत के विपरीत होने से अस्वीकार हैं। बैनामा 2016 में भूमाफिया द्वारा खेत खरीद कर आज तक बंजर पड़ा है आज तक जुताई नहीं करवाई है। ख.नं. 109 की भूमि में से कोई भी रास्ता न तो पूर्व में था न ही आज मौजूद है। नजरी नक्शा में रास्ता काल्पनिक दर्शाया है। यहां से कोई रास्ता नहीं जाता है रास्ते की फोटो कहीं अलग से खींच कर पेश की है। नजरी नक्शा जो प्रार्थिनी ने पेश किया है उस जगह रास्ता न होकर बहुत बड़ा टीला है। प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 ने ख.नं. भूमि में आज तक आवागमन तो दूर प्रवेश ही नहीं किया है। प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 का मुख्य उद्देश्य अपनी जमीन को हाईवे से जोड़कर कीमत बढाना है। 100 गुना मुनाफा कमाना है जबकि ख.नं. 111 में से सोमासी से रामपुरा गावं जाने वाले कटानी रास्ते से ख.नं. 111 की कृषि भूमि की उत्तरी सींव सींव होंकर प्रार्थिया व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के खेत में प्रवेश करता है। उस रास्ते की दूरी कम है जबकि हाईवे से दूरी ज्यादा पड़ती है। ख.नं. 110 के पूर्व के खातेदार गांव सोमासी के निवासी होने से सोमासी से रामपुरा सीधा जाने वाला कटानी रास्ते आवागमन होता आया है लेकिन प्रार्थिया व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 चूरू शहर में निवास करते हैं जो भूमाफिया हैं, कम दामों में भूमि खरीद कर अब भूमि खरीदने के बाद हाईवे स्वीकृत होने से अपनी ख.नं. 110 की भूमि को हाईवे से जोड़कर अत्यधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। वर्तमान तो कटानी रास्ते से ख.नं. 110 की भूमि की कीमत 50000/– रूपये प्रति बीघा है यदि भूमाफिया हाईवे से जमीन जोड़ लेते हैं तो जमीन की कीमत 20 लाख रूपये बीघा कीमत हो जावेगी। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थिया व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 व उसके आदमी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा पैसे का लालच दे रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 एक बूढ़ा किसान है। ख.नं. 109 की भूमि में 45–50 वर्षों से खेती कर रहा है। भूमाफिया अप्रार्थी सं. 1 के खेत में से जबरन रास्ता कायम करना चाहते हैं जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थिया द्वारा पेश नक्शा में दर्शित रास्ते की जगह बहुत बड़ा टीला है जो मौजूद है। यह कि प्रा0 पत्र की मद सं. 5 में दर्ज तथ्य हकीकत के विपरीत होने से अस्वीकार है। ख.नं. 109 की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 45–50 साल से काश्त कर रहा है। ख. नं. 109 व 110 खेत है खसरा नं. 110 रोही मौजा चारणवासी के पूर्व खातेदार सोमासी गांव के निवासी थे जबकि प्रार्थीया ने उनको चारणवासी के निवासीगण गलत बताया है ख. नं. 110 के पूर्व के खातेदार सोमासी गांव से रामपुरा रेणू गांव जाने वाले कटानी रास्ते से आवागमन करते थे जो खेत ख. नं. 111 की उतरी सींव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश नजरी नक्शा को लाल स्याही से क से ख अंकित स्थान पर रास्ता आज भी मौजूद है प्रार्थीया द्वारा पेश नजरी नक्शा से कोई रास्ता मौजूद नही है वहां रेत का बहुत बड़ा टिल्ला है अप्रार्थी चेतनराम द्वारा 100/– रूपये को कोई स्टाम्प पेपर रास्ते बाबत नहीं लिख कर दिया है यदि चेतनराम द्वारा स्टाम्प लिखा गया है तो वो पत्रावली में पेश क्यों नही किया गया दिनांक 29.01.16 के बैनामा में प्रार्थीया तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 जमीन क्रय करते वक्त जमीन को सड़क के से दूर बताई है ना ही बैनामा में हाईवे से रास्ता बताया। यदि हाईवे से रास्ता जाता तो प्रार्थीया बैनामा में जरूर लिखवाती उन्होंने ऐसा नही किया ख. नं. 110 की कृषि भूमि रोड़ से काफी दूर बताया है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 6 में दर्ज तथ्य मनगढ़न्त बनावटी तथा प्रार्थनापत्र में रंग देने के लिए लिखा है जो अस्वीकार है अप्रार्थी सं. 1 चेतनराम किसी पारूल सिंगतिया पुष्पा देवी सुनिता ललिता को नही जानता इनको देखा तक नही है जब चेतनराम के खेत में रास्ता ही नही है तो रास्ते जाने से टोकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ख. नं. 110 रोही चारणवासी की के पूर्वी साईड में कटानी रास्ता जो सोमासी से रामपुरा रेणू जाता है वह रास्ता लघुतम है मात्र हाईवे से जोड़ने के लिए जमीन कीमत बचाने के लिए यह झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 में दर्ज तमाम तथ्य मनगढ़न्त काल्पनिक होने से अस्वीकार है जब ख. नं.

उपखण्ड अधिकारी

109 की भूमि में रास्ता ही नही था तो कअवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता अप्रार्थी चेतनराम अप्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 तक आज तक नही मिला है जानता तक नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 8, 9 व 10 कानूनी मद होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थी सं. 1 ने विशेष कथन में अंकित किया कि अप्रार्थीया सं. 2 हाजन खेरूनीशा धर्मपत्नी उस्मानगनी जाति व्यापारी चूरू शहर की निवासी है जो प्रार्थीया पारूल सिगतिया व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 से मिली भगत कर रखी है तथा इनके प्रभाव में है जो अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ कुछ भी जवाब दे सकती है अप्रार्थीया सं. 2 हाजरा खेरूनीशा हिस्से की कृषि भूमि ख. नं. 109 की भूमि का पूर्व मालिक निराणा राम पुत्र गोपालाराम जाति जाट निवासी सोमासी था जो ख. नं. 110 के पूर्व खातेदार जो सोमासी ग्राम के ब्राह्मण जाति से था जो वर्तमान में 40 वर्षो से जयपुर में निवास कर रहे है वे कभी कभार बस से आते थे तब निराणा राम के खेत में उतरते थे निराणाराम के साथ दोस्ती होने के कारण निराणा राम के खेत की उतरी सींव सींव भाईचारे से जाने देता था लेकिन वहां की परमानेन्ट रास्ता नहीं था निराणाराम की जमीन का हिस्सा वर्तमान में अप्रार्थीया सं. 2 के पास है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख. नं. 109 की कृषि भूमि में दक्षिणी हिस्सा है अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की ख0 नं. 109 की भूमि मे से ख. नं. 110 की भूमि में कभी कोई रास्ता गत 50 वर्षो से नही रहा न ही आज है रास्ते की बात तो दूर कभी पगडंडी भी नही रही रोही चारणवासी में ख. नं. 110 की कृषि भूमि के पूर्व खातेदार व ख. नं. 111, 143 के खातेदार के पूर्वज एक ही परिवार के सदस्य जो सोमासी गांव के निवासीगण है ख. नं. 110 की भूमि के चिपती ही पूर्व साईड में ख. नं. 111 की भूमि में गांव सोमासी के रामपुरा रेणू गांव का कटानी रास्ता है ख. नं. 110 व 111 के मालिक गांव सोमासी के निवासीगण खातेदार रहे है गांव सोमासी से ख. नं. 110,111 में आने का सीधा कटानी रास्ता है पीढ़ियों से इसी रास्ते से आवागमन होता आया है ख. नं. 110 के खातेदार सोमासी से रामपूरा जाने वाले कटानी रास्ते में से ख. नं. 111 की भूमि में प्रवेश करते चले आये है ख. नं. 109 की भूमि के अन्दर से ख. नं. 110 के खातेदार का कभी कोई रास्ता नही रहा न आज है प्रार्थीया प्रार्थनापत्र में 20 फिट चौड़ा रास्ता होना गलत अंकित किया वहां पगडंडी भी नहीं है प्रार्थीया ने जो फोटोज प्रार्थनापत्र के साथ पेश किये है वहां ओर कहीं के रास्ते के फोटो खींच कर पेश किया है प्रार्थिया ने जो नक्शा काल्पनिक रास्ता दिखाया है वहां सड़क से बहुत उंचा टिल्ला है जिस पर आना जाना सम्भव ही नहीं है नजरी नक्शा में जो काल्पनिक रास्ता प्रार्थीया ने दिखाया है वहां बहुत बड़ा टिल्ला है एक व्यक्ति भी नही आ जा सकता मात्र काल्पनिक रास्ता अपनी भूमि रोड़ में जोड़ने व कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से जबरन रास्ता अपनी भूमि रोड़ में जोड़ने व कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से जबरन रास्ता लेकर नीचे भाव से जमीन क्रय करके उंचे दामों में बेच कर अत्यधिक मुनाफा कमाना चाहते है ये सभी भूमाफिया है जिनमें कई स्थानीय नेता व उनके परिवजन मिले हुवे है तथा हल्का गिरदावर विनोद शर्मा व उसके परिजन शामिल है तथा ख. नं. 111 की भूमि में से कटानी रास्ता होने का तथ्य रिकॉर्ड से छुपाया है इन भूमाफियों की मिली भगत से पेश किया गया प्रार्थनापत्र मय खर्चा सहित खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 का मुख्य उद्देश्य अपनी खरीदी हुई ख. नं. 110 की भूमि को हाईवे से जोड़ कर अत्यधिक मुनाफा कमाने की कुचेष्टा है जबकि ख. नं. 111 की भूमि में से कटानी रास्ते की दूरी कम है। ख. नं. 111 की भूमि में कटानी रास्ते होने का तथ्य भी छुपाया है।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश नक्शा में खसरा नम्बर 111 की भूमि में से कटानी रास्ते का अवलोकन कर लालच के वशीभूत होकर प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर पुनः तहरीर जारी की गई। तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। वकील अप्रार्थी सं. 2 ने तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वकील प्रार्थी ने जवाब ना देकर सीधे बहस का निवेदन किया। आपत्ति प्रा0पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। प्रा0पत्र में आपत्ति की गई कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थी को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में एकतरफा रूप से भिजवाई गई है जो उपस्थिति में मंगवाई जावे। वकील प्रार्थी ने रिपोर्ट को सही बताते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। प्रा0पत्र एवं मौका रिपोर्ट के

उपखण्ड अधिकारी

अवलोकन से पाया गया कि मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं तथा अप्रार्थी को सूचना दिये जाने का कोई तथ्य भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया गया कि उभयपक्ष को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवावें। तहसीलदार, चूरू की ओर से दिनांक 12.06.2019 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 110 रोही मौजा चारणवासी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 से 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पहले से चले आ रहे रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बन्द कर दिया गया है तथा वर्तमान में प्रार्थिनी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट से होती है। प्रार्थिनी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधन का अभाव है। हमें रास्ते की वास्तव में आवश्यकता है तथा हम केवल सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहते हैं। प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से धारा 251 ए के तहत नियमानुसार अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 की जितनी कृषि भूमि रास्ते में जायेगी उसकी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि वहन करने के लिए तत्पर एवं तैयार हैं। यदि न्यायालय उचित समझे तो रास्ते से दुगुनी कृषि भूमि भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 को देने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख.नं. 110 रोही चारणवासी में आवागमन का 16.5 फीट चौड़ा रास्ता ख.नं. 109 की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम तक नजरी नक्शा ए व बी तथा मौका रिपोर्ट में दर्शितानुसार कटानी रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अंकित करने आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थिनी के खेत का कोई रास्ता ख.नं. 109 की दक्षिणी सींव से होकर ना तो पहले कभी रहा है और ना ही आज है जबकि ख.नं. 110 में आने जाने का रास्ता पूर्व खातेदारों के समय से ख.नं. 111 में से रहा है। प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र अपनी भूमि को हाईवे से जोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से पेश किया है जबकि उसे इस रास्ते की ना तो आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं ना ही विकल्प का अभाव है क्योंकि ख.नं. 111 में से इनका रास्ता हमेशा से मौजूद रहा है। प्रार्थिनी जहां से रास्ता चाह रही है वहां एक बहुत बड़ा टीला है जो आवागमन के अनुकूल नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी भी मौका रिपोर्ट में अंकितानुसार सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 की हद तक प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में जवाब कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थिनी के खेत का कोई रास्ता ख.नं. 109 की उत्तरी सींव से होकर ना तो पहले कभी रहा है और ना ही आज है जबकि ख.नं. 110 में आने जाने का रास्ता पूर्व खातेदारों के समय से ख.नं. 109 की दक्षिणी सींव में से रहा है। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किये गये विकल्पों में सबसे कम दूरी का रास्ता अप्रार्थिनी सं. 2 के खातेदारी के ख.नं. 109 की उत्तरी सींव में से दर्शित किया गया है जहां पर अप्रार्थिनी सं. 2 का कब्जा काश्त व तारबन्दी है। धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार सुविधा नहीं देखी जाकर आवश्यकता देखी जाती है। प्रार्थिनी द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है वहां से पूर्व से ही रास्ता चला आ रहा है इसलिए दूरी अधिक होने के बावजूद वहीं से रास्ता दिया जाना चाहिए। अतः अप्रार्थी सं. 2 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का न्यायिक दृष्टान्त बाघसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर एवं अन्य दिनांक 26 सितम्बर 2016 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र मय पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने व अप्रार्थी सं. 3 से 7 के खातेदारी खेत ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी

110 रोही मौजा चारणवासी में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी खेत ख.नं. 109 की दक्षिणी सींव के सहारे पश्चिम से पूर्व ख.नं. 110 तक सदामत से मौजूद चले आ रहे रास्ते को कटानी अंकित करने की मांग की है जिसकी उसे आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं अन्य कोई विकल्प रास्ते बाबत नहीं होना बताया है। प्रार्थिनी ने प्रा0पत्र में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ अपने सह खातेदारों को अप्रार्थी सं. 3 से 7 एवं रहनकर्ता बैंक को अप्रार्थी सं. 8 को पक्षकार बनाया है जिनमें से अप्रार्थी सं. 1 ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार करते हुए प्रार्थिनी के खेत में जाने हेतु ख.नं. 109 में प्रार्थिनी द्वारा चाहा गया रास्ता नहीं होना बताया है तथा प्रार्थिनी के खेत में जाने का सदामत का रास्ता ख.नं. 111 में से होकर बताया है। साथ ही प्रार्थिनी एवं उसके सह खातेदारों को भूमाफिया होना अंकित करते हुए केवल अपनी भूमि को हाईवे से जोड़कर कीमती बनाने की गलत मंशा से पेश किये गये प्रा0पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में प्रा0पत्र में उल्लेखित रास्ते का मौजूद होना स्वीकार करते हुए ख.नं. 109 में अपने कब्जा काश्त की भूमि में से किसी भी तरह का रास्ता नहीं होना जाहिर किया है तथा अपनी हद तक प्रा0पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 3 से 5 ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। रहनकर्ता बैंक अप्रार्थी सं. 8 ने वादगत कृषि भूमि ख.नं. 109 में अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा बैंक के रहन होने से बिना रहनमुक्त करवाये एवं बिना ऋण राशि चुकाये पेश किया गया दावा कानूनन काबिल खारिज होने से बैंक की हद तक दावा खारिज करने की मांग की है ताकि बैंक की पब्लिक मनी सुरक्षित रह सके। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम चारणवासी के खाता संख्या 57 ख.नं. 110 तादादी 73 बीघा 2 विश्वा में प्रार्थिनी एवं अप्रार्थी सं. 3 से 7 खातेदार तथा खाता संख्या 17 ख.नं. 48, 94, 109 तादादी क्रमशः 11.05 बीघा, 49.05 बीघा, 7.05 बीघा कुल तादादी 67 बीघा 15 विश्वा में अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/2, 1/2 हिस्सा के खातेदार अंकित हैं जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा घण्टेल के रहन दर्ज है। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम चारणवासी के खाता सं. 14 ख.नं. 22, 34, 110 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि ख.नं. 110 की भूमि के पूर्व खातेदारान गणेशमल, शंकरलाल पि. सिरदारमल 1/5 हिस्सा, विमलकुमार पुत्र सूरजमल 1/5 हिस्सा, महेशकुमार, मुरारीलाल पि. रामलाल उर्फ रामकुमार 1/5 हिस्सा, रामेश्वरलाल पुत्र खींवाराम 1/5 हिस्सा, रूकमणी पत्नी चोखराज 1/5 हिस्सा चारणवासी के रहने वाले थे जिनसे प्रार्थिनी व अप्रार्थी सं. 3 से 7 ने यह कृषि भूमि क्रय की है। छाया प्रति सहमति पत्र दिनांक 28.01.2016 के अवलोकन यह परिलक्षित है कि ख.नं. 110 के पूर्व खातेदारों ने उक्त खसरा भूमि के विक्रय के समय ख.नं. 110 में आवागमन का रास्ता चेतनराम के खेत में से सदामत से पिछले 150 वर्षों से होना अंकित किया है तथा चेतनराम का खातेदारी खेत ख.नं. 109 को भी पूर्व में स्वयं का खातेदारी का होना अंकित किया है जिसको बाद में उन्होंने चेतनराम को विक्रय किया जाना बताया है। इस रास्ते से अपने पूर्वजों एवं उनके बाद स्वयं का आना जाना अंकित करते हुए अब उक्त रास्ते को इस भूमि के खरीददारान प्रार्थिनी पारूल एवं अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 उपयोग में ले सकेंगे इसमें श्री चेतनराम व उसके उत्तराधिकारीगण व हम सहमतिकर्तागण व हमारे उत्तराधिकारीगण एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा, यदि कोई आपत्ति की जावेगी तो वोह सब मिथ्या व प्रभावशून्य मानी जावेगी। उक्त सहमति पत्र में ख.नं. 110 के तत्समय के खातेदारों के साथ अन्य साक्षीगण के हस्ताक्षर अंकित हैं। एनेक्जर 'ए' में प्रार्थिनी द्वारा ख.नं. 110 में पहुंचने के लिए ख.नं. 109 में से चाहा गया रास्ता दर्शित किया गया है। प्रार्थिनी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से पेश छाया चित्रों का भी अवलोकन किया गया परन्तु छाया चित्रों के अवलोकन से वादगत कृषि भूमियों की वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती है। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिसके बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि मौके पर जांच करने पर पाया गया कि प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है, ये सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। बिन्दु सं. 2 में अंकित है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई नजदीकी रास्ता नहीं है एवं वैकल्पिक साधन व रास्ते का अभाव है। बिन्दु सं. 3 में अंकित है कि संलग्न नक्शे के अनुसार ख.नं. 110 में जाने हेतु नजदीकी व लघुतम प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 109 में से उत्तर पूर्व दिशा का रास्ता प्रस्तावित उचित है। वादी द्वारा भी सड़क से खसरा नं. 109 में से आवागमन बताया गया है जो कि उचित है। बिन्दु सं. 4 में अंकित है कि वादी एवं प्रतिवादी मौके पर उपस्थित मिले। प्रतिवादी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बिन्दु सं. 5 में अंकित है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गई है।

उपखण्ड अधिकारी

उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार चूरू की ओर से भू–अभिलेख निरीक्षक झारिया द्वारा पटवारी हल्का एवं उभय पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार की गई है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। फर्द मौका पर प्रार्थिनी, अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र हरिराम, एक साक्षी के साथ पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक झारिया के हस्ताक्षर अंकित हैं। फर्द मौका दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार ख.नं. 110 में आने जाने के तीन रास्ते प्रस्तावित किये गये हैं, प्रथम रास्ता ख.नं. 109 की उत्तरी–पूर्वी सींव में से खसरा नं. 110 में जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसकी लम्बाई 16 गट्ठा, चौड़ाई 3.63 गट्ठा कुल 3 विश्वा, द्वितीय रास्ता ख.नं. 109 की दक्षिणी–पूर्वी सीमा में से ख.नं. 110 में जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसकी लम्बाई 29 गट्ठा व चौड़ाई 3.63 गट्ठा कुल रकबा 5.5 विश्वा एवं तृतीय रास्ता ख.नं. 111 में से होकर पूर्व की तरफ ख.नं. 110 में जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसकी लम्बाई 21 गट्ठा व चौड़ाई 3.63 गट्ठा कुल रकबा 4 विश्वा अंकित किया गया है तथा उक्त तीनों प्रस्तावित रास्तों में से ख.नं. 110 में जाने के लिए नजदीकी प्रस्तावित व लघुतम प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 109 में से उत्तरी–पूर्व दिशा का रास्ता प्रस्तावित उचित होना अंकित किया है। फर्द मौका के संलग्न नजरी नक्शा में तीनों प्रस्तावित रास्ते लाल स्याही से दर्शित किये गये हैं। वकील अप्रार्थी सं. 2 द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें वर्णित है कि "As per Section 251 A of the Act of 1955, while granting way it is also required to be kept in mind that it must be a necessity which is "absolute necessity" and not for mere covenience."

पत्रावली, पेश जवाब मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव एवं न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र सही प्रतीत होता है। प्रार्थिनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थिनी द्वारा अपने खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थिनी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थिनी के खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थिनी द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थिनी के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादगत कृषि भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। हालांकि प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ख.नं. 109 की दक्षिणी सींव से रास्ता चाहा गया है परन्तु मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ख.नं. 109 की उत्तरी सींव से प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम दूरी वाला है जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आत्यन्तिक आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्तों में से चूरू से भालेरी जाने वाली मुख्य सड़क जो हाईवे है, से ख.नं. 109 की उत्तरी सींव के पास से प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता 30 चौड़ाई वाला दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थिनी द्वारा 20 फुट की चौड़ाई वाले रास्ते की मांग की गई है। इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित 30 फुट की बजाय 20 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तुलनात्मक रूप से कम भूमि रास्ते में जाये। प्रार्थिनी उक्त रास्ते में अप्रार्थी सं. 1 व 2 की जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 व 2 को करने हेतु तैयार हैं। ग्राम चारणवासी की असींचित कृषि भूमि की सड़क पर डी.एल.सी. दर 822171/– रूपये प्रति हैक्टेयर है व सींचित कृषि भूमि की सड़क पर डी.एल.सी. दर 1233257/– रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा ख.नं. 109 ग्राम चारणवासी की कृषि भूमि असींचित है। जहां तक अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा बैंक के रहन होने का प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ख.नं. 109 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की 1/2, 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी की है तथा उक्त खसरे की रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि मात्र 2640 वर्गफीट (0.0245264 हैक्टेयर) है जिसमें से अप्रार्थी सं. 1 के 1/2 हिस्सा से केवल 1320 फीट भूमि ही रास्ते में जायेगी जिससे बैंक के हितों पर कोई विशेष प्रभाव या भारी आर्थिक क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर. टी.ए. के प्रावधानों में कवर होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 तादादी 18.4890 हैक्टेयर रोही ग्राम चारणवासी में आवागमन हेतु चूरू से भालेरी जाने वाली मुख्य सड़क से ख.नं. 109 की उत्तरी सींव से होकर प्रार्थिनी व अप्रार्थी सं. 3 से 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 110 रोही मौजा चारणवासी की उत्तरी–पश्चिमी सींव तक 132 x 20 फीट = कुल 2640 वर्गफीट (0.0245264 हैक्टेयर) की लम्बाई x चौड़ाई का गै0मु0 कटानी रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिनी को ग्राम चारणवासी की सड़क पर डी.एल.सी. दर 822171/– रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से गै0मु0 रास्ते में जाने वाली ख. नं. 109 की 2640 वर्गफीट (0.0245264 हैक्टेयर) कृषि भूमि की दुगुनी राशि 40330/– रूपये अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अदा कर प्राप्ति रसीद तहसीलदार, चूरू को देने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थिनी से रास्ते की एवज राशि की भुगतान की सुनिश्चितता करते हुए उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू